गुजरात में बागोडिया क्षेत्र में एल०पी०जी० संयंत्र

1164. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात के बागोडिया क्षेत्र में एक एल पी जी संयंत्र, तेल चयन बोर्ड से अनुमति लिए बिना स्थापित किया गया है

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संयंत्र की कुल लागत कितनी है और यह किसके स्वामित्व में है, और

(घ) इस संयंत्र की स्थापित क्षमता की तुलना में इसका कुल उत्पादन कितना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) और (ख) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल के अनुमोदन से संयंत्र का निर्माण किया गया है । तेल चयन बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित नहीं था ।

(ग) संयंत्र की अनुमोदित लागत 49.15 करोड़ रुपए थी तथा गैस अथारिटी आफ इंडिया लि० इस संयंत्र की मालिक है ।

(घ) वर्तमान में संयंत्र इसकी स्थापित क्षमता के लगभग 70 प्रतिशत तक कार्य कर रहा है ।

एयर टैक्सी द्वारा ईंधन मूल्यों का भुगतान

1165. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी एयर टैक्सी संचालकों ने ईंधन मूल्यों के भुगतान के संबंध में अपनी वचनबद्धताओं को पूरा किया है ;

(ख) यदि नहीं तो चूककर्त्ताओं के संबंध में ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप सरकार को कुल कितनी हानि हुई है ; और

(ग) उनके खिलाफ क्या कार्रवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) से (ग) निम्नलिखित के अतिरिक्त समस्त एयर टैक्सी चालकों ने अपनी वचनबद्धताएं पूरी की हैं:—

(i) **ईस्ट वैस्ट एयरलाइन्स** 590 लाख रुपए की अनुमोदित साख सीमा के उपरान्त 24-2-1994 तक बकाया ईंधन बिल की राशि 455 लाख रुपए बैठती है । ईंधन आपूर्ति बिलों की वसूली के लिए पार्टी को 50 लाख रुपए मूल्य के अपरिवर्तनीय घूर्णन साख पत्र खोलने का सुझाव दिया गया है तथा वे अनुमोदित साख सीमा से आगे बकाया राशि पर बैंक दर से ब्याज के अतिरिक्त 2 प्रतिशत का भुगतान करने पर सहमत हो गए हैं ।

(2) **कंटिमेन्टल एविएशन प्रा० लि०** प्रचालक ने 22-5-1993 से अपना प्रचालन आस्थगित कर दिया है तथा कुल बकाया 12,89,131 रुपया है ।

बकाए राशि की वसूली के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की जा रही है ।

(3) **सिटी लिंक एयरवेज लिमिटेड** : प्रचालक ने 19-6-1993 से प्रचालन आस्थगित कर दिया है तथा कुल बकाया राशि 53,07,862 रुपए है ।

बकाए राशि की वसूली के लिए एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई है ।